भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4087

जिसका उत्तर 28 मार्च, 2022/07 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया

पीएमईजीपी के अंतर्गत एनपीए

4087. डॉ. राजश्री मल्लिकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंक विभिन्न मंचों पर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीएएस) की बढ़ती घटनाओं को उठा रहे हैं और ऐसे बढ़े हुए एनपीए के कारणों में से एक परियोजना लागत को कम करना और पूर्ण संवितरण नहीं करना हो सकता है और यदि हां, तो इतने अधिक मामलों के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान प्रतिस्पर्धी व्यवसाय परिदृश्य के अनुरूप कार्यकलापों के विविधीकरण के साथ एसएफसी को अधिक लाभ हेते हुए राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) अधिनियम में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वाणिज्यिक बैंकों को उनके एनपीए के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का एसएफसी को उनके एनपीए के बदले में कोई बजटीय अनुदान देने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के लिए बैंक वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंक की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला सलाहकार समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति जैसे मंचों के माध्यम से बैंकों और अन्य विकास एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय के लिए अग्रणी बैंक योजना जारी की है। उक्त मंचों के अधिदेश के भाग के रूप में, बैंकों द्वारा ऋण संवितरण की समीक्षा करने के लिए इन मंचों को सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण देने और योजनाबद्ध रूप से ऋण देने के संबंध में एनपीए की स्थिति पर चर्चा करने का भी अधिदेश दिया गया है और इसके अनुसरण में, बैंक इन मंचों पर पीएमईजीपी सहित विभिन्न ऐसी योजनाओं के लिए दिए गए ऋण में एनपीए की स्थिति पर भी चर्चा करते हैं।

पीएमईजीपी जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के एनपीए होने के कई कारण होते हैं, जिसमें विद्यमान वृहद आर्थिक परिस्थितियां, क्षेत्र संबंधी समस्याएं, वैश्विक व्यापार परिवेश, बैंकों द्वारा दबावों की देरी से पहचान, अनुपयुक्त जोखिम मूल्य-निर्धारण और अनुपयुक्त ऋण हामीदारी, ऋण लेने वाले संस्थानों में अभिशासन संबंधी समस्याएं, और परियोजना मूल्यांकन में विशेषज्ञता की कमी, परियोजना कार्यान्वयन में अधिक समय और लागत का लगना आदि के कारण मूल्यांकन किए गए वित्त की मात्रा से भिन्न निधि की आवश्यकताएं शामिल हैं।

(ख): गतिविधियों के विविधीकरण से राज्य वित्त निगमों को अधिक लाभ देने के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ग): सरकार बैंकों द्वारा सरकार को जारी किए गए शेयरों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रवर्तक के रूप में इन बैंकों में पूंजी लगाती है। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार इस संबंध में एनपीए के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता होती है, और वे तदनुसार अपने परिचालन लाभ से ऐसा प्रावधान करते हैं।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ङ): प्रश्न ही नहीं उठता है।

*****